(46)
48.

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)
सर्किट कोर्ट रीवा

श्री धनराज सिंह एड० द्वारा पेश 15-5-14

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

256
15-5-14

R-1944-II/14

1. शंकर सिंह तनय श्री छोटेलाल सिंह उम्र 78 वर्ष पेशा खेती, निवासी ग्राम बसौडहा तहसील गोपद बनास जिला सीधी,
2. श्रीमती मालती सिंह पुत्री शंकर सिंह उम्र 53 वर्ष पेशा गृहकार्य,
3. श्रीमती शान्ती सिंह पुत्री सत्य प्रसाद सिंह उम्र 43 वर्ष पेशा गृहकार्य,

दोनों निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0) ----------- आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती सर्वदा देवी पत्नी श्री दीनानाथ मिश्रा उम्र 53 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन ------- अनावेदकगण

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री मान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 350/निगरानी/08-09 आदेश दिनांक 28-3-2014 जिसके द्वारा नितान्त अवैधानिक तरीके से निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त कर दी गयी है।

(47)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1944/II/14 (सीधी) ओंकार सिंह / कविता देवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	इस प्रकरण में दिनांक 23/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, सीधी के प्रकरण क्रमांक 350/निग./08-09 में पारित आदेश दिनांक 28/3/14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य 6/2/19	